पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक :–No./Acad./2021/ 210 दिनांक : 10/01/2022

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.01.2022 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.01.2022 को विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:

1. प्रो. भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. डी.पी. मीणा	संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
3. डॉ. दिलसुख थालौड़	संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
4. डॉ. रामगोपाल शर्मा	संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य
5. डॉ. अशोक गोदारा	संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
6. डॉ. पुष्पलता शर्मा	प्राचार्य, निजी महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
7. डॉ. प्रेम सिंह मीणा	अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाला (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
8. डॉ. रवीन्द्र कटेवा	न्यूनतम दस वर्ष का अध्यापन अनुभव (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
9. डॉ. सुरेश कुमार नायक	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड विधि	सदस्य
10. श्री रामानन्द शर्मा	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भौतिक विज्ञान	सदस्य
11. डॉ. चंद्रमोहन राजोरिया	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड रसायन विज्ञान	सदस्य
12. डॉ. एन. के. बावलिया	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड वनस्पति विज्ञान	सदस्य
13. डॉ. नीना गुप्ता	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड जन्तु विज्ञान	सदस्य
14. डॉ. रणवीर सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड गणित	सदस्य
15. डॉ. मनोज कुमार	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड भूगोल	सदस्य
16. श्री महिपाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड अर्थशास्त्र	सदस्य
17. डॉ. महेन्द्र सिंह चौधरी	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड इतिहास	सदस्य
18. डॉ. भागीरथ मल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड लोक प्रशासन	सदस्य
19. डॉ. महेश गिठाला	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड समाज शास्त्र	सदस्य
20. डॉ. यशपाल	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड अंग्रेजी	सदस्य
21. डॉ. राजेन्द्र सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड हिन्दी	सदस्य
22. डॉ. राम नारायण झा	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड संस्कृत	सदस्य
23. डॉ. राकेश कुमार	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड शिक्षा	सदस्य
24. डॉ. मदन सिंह	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड ईएएफएम	सदस्य
25. डॉ. के. एम. मोदी	अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड व्यावसायिक प्रशासन	सदस्य
26. श्री अर्जुन लाल गुर्जर	कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य सचिव

डॉ. नीलम भार्गव, संकायाध्यक्ष विज्ञान, डॉ. पुष्पा चौधरी, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान, डॉ. मंजू लाडला, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड राजनीति विज्ञान एवं डॉ. अशोक कुमार मीणा, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड एबीएसटी बैठक में अनुपस्थित रहे।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं परिचय करवाया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :—

Item Agenda (मद) 1 :— विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 15.09.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः विद्या परिषद् की गत बैठक दिनांक 15.09.2021 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :— शोध में अभ्यर्थियों को पर्यवेक्षक (Supervisor) आवंटन हेतु DRC के गठन पर विचार व निर्णय।

निर्णयः DRC का गठन राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमानुसार किये जाने का निर्णय किया गया। विषयवार DRC का गठन किया जाये तथा अभ्यर्थियों को पर्यवेक्षक का आवंटन केन्द्रीकृत प्रक्रिया के माध्यम से विश्वविद्यालय में ही किये जाने का निर्णय किया गया, जिससे शोध अभ्यर्थियों को उनके शोध विषय (Topic) के अनुसार पर्यवेक्षक के चयन की सुविधा उपलब्ध हो।

Item Agenda (मद) 3 :— महाविद्यालय में जहां पर शोध कार्य होगा, उन्हें शोध केन्द्र (Research Centre) की मान्यता देने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः महाविद्यालयों में जहां पर शोध कार्य होगा, उन्हें जांच एवं परीक्षण कर शोध केन्द्र के रूप में मान्यता दिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 4 :— शोध परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम के निर्धारण पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शोध परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम यूजीसी परिनियम व University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./PH.D. Degrees) Regulations, 2016 एवं University Grants Commission(Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil /Ph.D. Degrees)(2nd Amendment) Regulations, 2018 के अनुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया। कोर्स वर्क का पाठ्यक्रम तैयार किये जाने हेतु संकायाध्यक्षों .की एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 5 :– विश्वविद्यालय केन्द्रीय शोध प्रयोगशाला (Central Research Laboratory) की स्थापना पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में केन्द्रीय शोध प्रयोगशाला (Central Research Laboratory) होगी, जिसकी स्थापना एवं चालू किये जाने का निर्णय किया गया। केन्द्रीय शोध प्रयोगशाला (Central Research Laboratory) का उपयोग विश्वविद्यालय के विभागों के साथ–साथ सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय के शोधार्थियों को भी मिलेगा। संबंधित महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य के निवेदन एवं अनुमति दिये जाने के बाद ही उन्हें कार्य करने की स्वीकृति दी जावेगी। इसका एक नोडल अधिकारी होगा जो देख–रेख की व्यवस्था करेगां

Item Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय में अनुसंधान व शोध के लिए शोध, अध्ययन व अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः अनुसंधान व शोध के लिए शोध, अध्ययन व अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय किया गया:

1. Centre for Research and Development of Shekhawati History, Art and Culture
2. Centre for Research of Shekhawati Diasopora
3. Centre for Enterpreneurship and Skill Development
4. Centre for Studies of Global affaris
5. Centre for Empirical Study and Research of Environment
6. Centre for Gandhian Study

Item Agenda (मद) 7 :– डी.लिट. / डी.एससी. (D.Litt./D.Sc.) के शोध कार्य प्रारम्भ करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः डी.लिट. / डी.एससी. (D.Litt./D.Sc.) की उपाधि के शोध कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– विश्वविद्यालय में शोध करने वाले शोधार्थी को छात्रवृति देने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में शोध करने वाले शोधार्थी को छात्रवृति देने पर सैद्धांतक सहमति प्रदान की गई, इसमें विभागीय शोधार्थी को रू. 7000/– प्रति माह एवं संकाय शोधार्थी को रू. 10000/– प्रति माह की छात्रवृति दिये जाने का निर्णय किया, जिसमें शोधार्थी रिसर्च एसोसियट की तरह विश्वविद्यालय में नियमित उपस्थित रहेगा तथा विभाग एवं संकाय के शोध कार्य को भी देखेगा।

Item Agenda (मद) 9 :– शोध पात्रता परीक्षा के विभिन्न पेपरों की उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपतियों के निस्तारण हेतु बुलाये गये विषय विशेषज्ञों के भुगतान के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विषय विशेषज्ञों को रू. 2000/– प्रति सीटिंग के अनुसार भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 10 :– विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन विभाग में LL.B. 3 year, LL.B. 5 year, B.A. LL.B., B.B.A. LL.B. के पाठ्यक्रम के संचालन पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विधि अध्ययन विभाग में LL.B. 3 year, LL.B. 5 year, B.A. LL.B., B.B.A. LL.B. के पाठ्यक्रम के संचालन का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद)11 :– विश्वविद्यालय में B.A. B.Ed, B.Sc.B.Ed. 4 year पाठ्यक्रम के संचालन पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः B.A. B.Ed, B.Sc.B.Ed. 4 year पाठ्यक्रम के स्थान पर B.Ed. M.Ed. 3 year Integrated Course के संचालन का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 12 :– विश्वविद्यालय में खेल से संबंधित B.P.Ed., M.P.Ed. व अन्य रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम के संचालन पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः B.P.Ed. व M.P.Ed. पाठ्यक्रम के संचालन का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 13 :– विश्वविद्यालय में योग एवं सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शेखावाटी क्षेत्र के युवाओं का भारतीय सेना में जाने के रूझान को मध्यनजर रखते हुए सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने का निर्णय किया गया। वर्तमान में योग की विश्वस्तरीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए योग पर डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स शुरू किये जाने का निर्णय किया गया। साथ ही पेट्रोलियम (Petroleum), ऊर्जा (Energy), पर्यटन (Tourism), विदेशी भाषा (Foreign Langauage), फाईन आर्ट्स, बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स, सेल्स एण्ड मार्केटिंग इत्यादि पर डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 14 :– विश्वविद्यालय शोध एवं अध्ययन के लिए शोध केन्द्रों पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः मद का निर्णय मद संख्या 6 पर हो गया है।

Item Agenda (मद) 15 :– विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष की अंकतालिका के प्रारूप पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः प्रथम वर्ष की अंकतालिका शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 11.08.2021 के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार दसवीं कक्षा के 40 प्रतिशत तथा बारहवीं कक्षा के 60 प्रतिशत अंकों को आधार मानकर तैयार करवाये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 16 :– विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को परीक्षा 2019 व 2020 की उपाधि का ग्रेस पास करना।

निर्णयः परीक्षा 2019 के 67369 एवं परीक्षा 2020 के 95865 विद्यार्थियों की उपाधियों का अनुग्रह (Grace) पारित किया गया।

Item Agenda (मद) 17 :– विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञों के नाम के पैनल पर विचार कर निर्णय।

निर्णयः निजी महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्ययन मण्डल प्रत्येक विषय के दस–दस प्राध्यापकों को नाम विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया। जब तक नाम प्राप्त नहीं होते हैं तब तक माननीय कुलपति को विषय विशेषज्ञों को लगाने हेतु अधिकृत किया गया।

Item Agenda (मद) 18 :– विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्राप्त निजी महाविद्यालय के शिक्षकों की सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर पदनाम पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः निजी महाविद्यालय में चयन समिति से नियमित रूप से नियुक्त होने वाले शिक्षक एवं अद्यतन यूजीसी पे–स्केल जिन्हें दी गयी हो, ऐसे यूजीसी पे–स्केल पर नियमित शिक्षक जिन्हें यूजीसी एवं राज्य सरकार के सेवा नियमों के तहत सेवा नियमों पर स्थायी नियुक्त किया है, उन्हीं शिक्षकों को ही सह आचार्य (Associate Professor) एवं सहायक आचार्य (Assistant Professor) पदनाम दिये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 19 :– विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की योग्यता पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय के विभागों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की योग्यता यू.जी.सी. के अद्यतन नियमों, संशोधित परिनियम 2018 व राजस्थान के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और अधिकारियों के भर्ती नियम, 1974 अर्थात् The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में शिक्षक भर्ती के अद्यतन नियम, परिनियम एवं अध्यादेशों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने तथा राजस्थान सरकार के राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवा भर्ती हेतु अद्यतन आरक्षण नियमों के अनुसार रोस्टर निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 20 :– विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए अध्ययन मण्डल से विषय–विशेषज्ञों के नाम लेने के निर्णय पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय विभागों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए संबंधित अध्ययन मण्डल से उस विषय के तीस–तीस विषय–विशेषज्ञों के नाम का पैनल दिये जाने का निर्णय किया गया, जो ये योग्यता पूरी करते हों:–

1. पदनाम आचार्य स्तर एवं उसके समकक्ष स्तर का हो।
2. विषय–विशेषज्ञ सेवा में हो या सेवानिवृत भी हो सकता है।
3. विषय–विशेषज्ञ शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
4. विषय–विशेषज्ञ के ई–मेल, दूरभाष, मोबाइल नम्बर, कार्यस्थान का पता, घर का पता इत्यादि भी पैनल के साथ दिये जाये।
5. विषय–विशेषज्ञ राजस्थान राज्य में सेवारत व यहां से सेवानिवृत न हो।
6. विषय–विशेषज्ञ कभी इस विश्वविद्यालय से संबंधित न रहे हो, अर्थात् यहां पर सेवा कार्य न किया हो या विश्वविद्यालय के किसी निकाय या समिति के सदस्य न रहे हो।
7. एक ही विश्वविद्यालय के एक विभाग के दो विशेषज्ञों के नाम पैनल में शामिल नहीं किये जावे।

Item Agenda (मद) 21 :– विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में संचालित पर्यावरण एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषय की अध्यापन पद्धति, परीक्षा पद्धति पर विचार एवं निर्णय करना।

निर्णयः मद आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया है।

टेबल एजेण्डा

Table Agenda (मद) 1 :– शोध में नेट (NET), जेआरएफ (JRF), सेट (SET) के अभ्यर्थियों को बोनस अंक (weightage) देने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शोध में नेट (NET), जेआरएफ (JRF), सेट (SET) के अभ्यर्थियों को बोनस अंक (weightage) देने के संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के शोध नियम, परिनियम एवं अध्यादेश के अद्यतन संशोधन लागू किये जाने का निर्णय किया जाता है।

Table Agenda (मद) 2 :– शोध में प्राध्यापक कोटा (Teacher's Quota) रखने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः शोध में प्राध्यापक कोटा (Teacher's Quota) रखने के संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश, परिनियम एवं नियमों के आधार पर कार्य करने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 3 :– विश्वविद्यालय में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए विशेष बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए विशेष बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 4 :– विश्वविद्यालय में Student/Teacher Exchange Programme को बढ़ावा देने के लिए देश, विदेश के विश्वविद्यालयों से एमओयू करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में Student/Teacher Exchange Programme को बढ़ावा देने के लिए देश, विदेश के विश्वविद्यालयों से एमओयू किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 5 :– स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों के नवीन शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम अद्यतन करने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों के पाठ्यक्रम नवीन शिक्षा नीति के अनुसार अद्यतन किये जाने का निर्णय किया जाता है।

Table Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोह में किसी संकाय या विषय विशेष में प्राइवेट व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने नाम से गोल्ड मेडल दिये जाने के नियम बनाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त. समारोह में किसी संकाय या विषय विशेष में प्राइवेट व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने नाम से गोल्ड मेडल दिये जाने के नियम बनाने हेतु संकायाध्यक्षों की एक समिति गठित किये जाने का निर्णय किया।

Item Agenda (मद) 22 :– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1. **विश्वविद्यालय में SWAYAM (Study Webs of Active–Learning for Young Aspiring Minds) कोर्स शुरू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः विश्वविद्यालय में SWAYAM (Study Webs of Active–Learning for Young Aspiring Minds) के द्वारा वोकेशनल पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है तथा डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाये जाते हैं। विश्वविद्यालय में इसके तहत किन–किन पाठ्यक्रम को शुरू किया जाये, कैसे किया जाए, कितने समय का पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम पूरा करने वालों को क्या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा दिया जाये, पाठ्यक्रम का क्या शुल्क हो, इस हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है:

1. डॉ. प्रेम सिंह मीणा, सरकारी प्रतिनिधि
2. डॉ. डी. एस. थालौड़, संकायाध्यक्ष विधि
3. डॉ. नीना गुप्ता, अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड प्राणी विज्ञान
4. डॉ. पुष्पलता शर्मा, सरकारी प्रतिनिधि शिक्षा संकाय

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

कुलसचिव